

मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभा भवन, भोपाल- 462008

क्रमांक बी 4 02/2012/2/पांत (16)

भोपाल दिनांक 30 मार्च, 2012

प्रारूप तीन

आदेश

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आवासीय कालोनी के विकास के प्रयोजन के लिए भूमि के विकास से संबंधित करार की लिखतों पर अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर को घटाते हुए 1 प्रतिशत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30.3.12
(एन.के. जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABHI BHAWAN BHOPAL-4620004**


// ORDER//

No.F-B-4-02/2012/2/5, (16)

Bhopal, dated 30 March, 2012

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, reduces the stamp duty to one percent chargeable under clause (a) of article 5 of Schedule 1-A on instruments of agreement relating to development of land for the purpose of development of residential colony.

**By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,**


30.3.12
(N.K. Jain)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh